न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प शिव

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 24/2011

अपीलांट

सरदाराराम पुत्र हेमाराम जाति माली निवासी आकली तहसील शिव

बनाम्

रेस्पोडेंट्स

1.वीराराम पुत्र दौलाराम
2.पपुदेवी पत्नि दौलाराम
3.पदमाराम पुत्र सूजाराम
जाति माली निवासी आकली तहसील शिव
4.तहसीलदार,शिव

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 23.05.2011 जो तहसीलदार शिव द्वारा ग्राम धोलकिया के नामान्तरकरण संख्या 238 पर पारित किया गया।

उपस्थितिः– 1. अपीलांट उपस्थित, अधिवक्ता अनुपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 01 उपस्थित,02 व 03 अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 04 उपस्थित।

निर्णय दिनांक 21.06.2016

1. अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, शिव द्वारा ग्राम धोलकिया के नामान्तरकरण संख्या 238 पर पारित आदेश दिनांक 23.05.2011 के विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 1394 रकबा 56 बीघा 18 बिस्वा मौजा धोलकिया तहसील,शिव में आई हुई है। वादीगण–रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)शिव के न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते मौजा धोलकिया के खेत खसरा नम्बर 1394 रकबा 56.18 बीघा को जो सह खातेदारी की होने से विभाजन करने हेतु प्रस्तुत किया। सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) शिव ने बाद सुनवाई वादीगण–रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 का वाद निर्णय एंव डिक्री दिनांक 16.05.2011 द्वारा स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये। इस निर्णय एंव डिकी की पालना में पटवारी हल्का जुनेजो की बस्ती ने दिनांक 23.05.2011 को नामान्तरकरण संख्या 238 भरकर तहसीलदार,शिव के समक्ष पेश किया। तहसीलदार शिव ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2011 द्वारा स्वीकृत कर दियां। अपीलांट का यह कथन

जिला कलक्टर
बाड़मेर

है कि अपीलांट ने राजस्व वाद संख्या 41/07 में पारित निर्णय एव डिक्री दिनांक 16.05.2011 के अपास्त करने हेतु राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में अपील संख्या 25/11 पेश की है जिसमें स्थगन आदेश भी जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव द्वारा पारित नामान्तरकरण गलत एंव विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाए।

3. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंटस को सम्मन किये एंव अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट शिव में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अपीलांट उपस्थित रहा अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेंट संख्या 01 व 04 उपस्थित रहे, 02 व 03 अनुपस्थित रहे।

5. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलाधीन नामानतरकरण संख्या 1105 एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम धोलकिया के खेत खसरा नम्बर 1394 रकबा 56.18 बीघा अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी। वादीगण–रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)शिव के न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते मौजा धोलकिया के खेत खसरा नम्बर 1394 रकबा 56.18 बीघा को जो सह खातेदारी की होने से विभाजन करने हेतु प्रस्तुत किया। सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)शिव द्वारा बाद सुनवाई वादीगण का वाद अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 16.05.2011 द्वारा स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये। इस निर्णय एंव डिक्री की पालना में पटवारी हल्का जुनेजो की बस्ती ने दिनांक 23.05.2011 को नामान्तरकरण संख्या 238 भरकर तहसीलदार,शिव के समक्ष पेश किया। तहसीलदार शिव ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2011 द्वारा स्वीकृत कर दिया। अपीलांट का यह कथन है अपीलांट ने राजस्व वाद संख्या 41/07 में पारित निर्णय एव डिक्री दिनांक 16.05.2011 के अपास्त करने हेतु राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में अपील संख्या 25/11 पेश की। जिसमें स्थगन आदेश भी जारी किया गया है। इसके बावजूद अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव ने नामान्तरकरण संख्या 238 दिनांक 23.5.2011 को पारित किया । इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध स्थगन आदेश के अवलोकन से राजस्व अपील अधिकारी(बाड़मेर–जैसलमेर)मु0 जोधपुर ने अपील संख्या 25/2011 सरदाराराम बनाम वीराराम में दिनांक 24.

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

05.2011 को वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। अपीलांट ने अपने अपील पत्र में दिनांक 24.05.2011 को स्थगन आदेश की प्रति प्राप्त कर,उसी दिन नकल तहसीलदार शिव व पटवारी तथा भूअभिलेख निरीक्षक को देना बताया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव के समक्ष दिनांक 23.05.2011 तक किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण 238 पारित किया गया है। इसमें कोई वैधानिक त्रुटि एंव अनियमितता प्रतीत नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त राजस्व अपील अधिकारी,जोधपुर ने अपील संख्या 25/11 में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, शिव के वाद संख्या 41/07 में पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 16.05.2011 को यथावत रखते हुए अपीलांट की अपील खारिज की गई है। राजस्व अपील अधिकारी,जोधपुर द्वारा उक्त अपील में पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितिय अपील संख्या 51/2012 पेश की जो निर्णय दिनांक 07.02.2012 द्वारा अपील खारिज की गई है। ऐसी स्थिति में भी अपीलाधीन नामान्तरकरण खोलने एंव स्वीकृति करने में कोई अनियमितता होना प्रतीत नहीं होती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2011 यथावत रखा जाता हैं।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प शिव में आज दिनांक 21.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर